फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला राजसमन्द

पत्रावली संख्या 9/2022 प्रार्थना पत्र धारा 251 ए

रतनसिंह डोडिया बनाम रामा वगैराह

दिनांक	आदेशिका	हस्ताक्षर/ सूचना
	अधिवक्ता पत्रावली पेश हुई ।अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित है । तहसीलदार कुम्भलगढ से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई ।अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे बताया कि प्रार्थी रतनसिंह पिता नाथूसिंह राजपूत निवासी जेतारण तहसील कुम्भलगढ के ग्राम जेतारण पटवार हल्का पीपाणा तहसील कुम्भलगढ मे स्थित उनकी सहखातेदारी भूमि आराजी नंबर 438 रकबा 1.9764 किस्म बीड–2 व मगरी भूमि मे आने–जाने हेतु ग्राम जेतारण की विपक्षी संख्या 1रामा पिता सरूप कुम्हार , विपक्षी संख्या 2 हरिराम पिता सरूप कुम्हार निवासी जेतारण विपक्षी संख्या 3 कंकु पत्नि सरूप कुम्हार निवासी जेतारण की खातेदारी भूमि से रास्ता दिलाया जावे । नियमानुसार सरकारी शुल्क जमा कराने को तैयार है। तहसीलदार कुम्भलगढ की जांच रिपोर्ट अनुसार उक्त खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु ग्राम जेतारण की विपक्षी संख्या 1रामा पिता सरूप कुम्हार निवासी जेतारण, विपक्षी संख्या 2 हरिराम पिता सरूप कुम्हार निवासी जेतारण विपक्षी संख्या 3 कंकु पत्नि सरूप कुम्हार निवासी जेतारण की खातेदारी भूमि आराजी नंबर 433 रकबा 1.1664हैक्टेयर मे से रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म मगरी, आराजी नंबर 434 रकबा 0.1512 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0183 हैक्टेयर किस्म पडत–1, आराजी नंबर 435 रकबा 0.1188 हैक्टेयर मे से रकबा 0.0185 हैक्टेयर किस्म हकत–2 कुल प्रस्तावित रकबा 0.0773 हैक्टेयर भूमि का रास्ता सबसे निकटतम रास्ता है । रास्ते हेतु उक्त प्रस्तावित भूमि को दिये जाने की अनुशंषा की है । बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से सिद्व है कि तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावति रास्ता खातेदारी भूमि से है इसके अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से रास्ता दिया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा कर तहसीलदार कुम्भलगढ के प्रस्तावानुसार उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी.दर 447828/–रूपये प्रति हैक्टेयर से भूमि की कीमत 34618/–की दुगुनी कीमत 69236/–रूपये विपक्षी खातेदार को अदा करने पर व यदि संबंधित खातेदार द्वारा राशि नही लेने पर संबंधित मद मे जमा कराने पर उक्त प्रस्तावित भूमि किस्म रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है ।रास्ते की अधिकतम चौडाई 30 फीट व लम्बाई 275 फीट है। जिसका प्रयोग सार्वजनिक होगा । तदनुसार राजस्व अभिलेख मे अंकन एवं अमल दरामद किये जाने हेतु पृथक से आदेश जारी किया जाकर ट्रेस की प्रति के तहसीलदार कुम्भलगढ को पालना हेतु भेजी जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया । उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ जिला–राजसमन्द (राज.) उपखण्ड अधिकारी कुम्भलगढ, जिला–राजसमन्द (राज.)	